अम्बिकापुर से पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–78 (नया रा.रा.क्रमांक–43) का पेव्हड शोल्डर सहित दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव बावत्।

भाग–II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/ROAD/12117/2015

1	परियोजना/स्कीम का स्थान	इ.पी.सी. परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर से पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–78 (नया रा. रा.क्रमांक–43) का पेव्हड शोल्डर सहित दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
I	राज्य/संघ शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़
II	जिला	सरगुजा, सूरजपुर एवं जशपुर
III	वन प्रभाग	सरगुजा, सूरजपुर एवं जशपुर वन मण्डल
IV	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि	संरक्षित वन भूमि – 27.692 हे0, आरक्षित वन भूमि – 2.030 हे0 राजस्व वन भूमि – 1.382 हे0 कुल – 31.104 हे0
V	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि, आरक्षित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि
VI	वनस्पति का घनत्व	0.0 से 0.5 तक
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एफ.आर. एल., एफ.एफ.आर.एल.–2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मी. भी संलग्न किए जाए।	वृक्षों के गणना प्रतिवेदन अनुसार साल, सागौन, साजा, परसा, धावड़ा एवं विभिन्न प्रजातियों के कुल 685 वृक्ष स्थित है। विस्तृत गणना प्रतिवेदन प्रजातिवार, गोलाईवार संलग्न है।
VIII	भू–क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	प्रस्तावित परियोजना अम्बिकापुर से पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 (नया रारा.क्र.43) दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु है। संरक्षित वनभूमि आरक्षित वनभूमि एवं राजस्व वन भूमि में भू–क्षरण नगण्य है।
IX	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित परियोजना सड़क चौड़ीकरण कार्य वनभूमि से गुजर रहा है।
X	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	प्रस्तावित वनक्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर का भाग नहीं है। उक्त क्षेत्र में जंगली हाथियों एवं अन्य वन्य प्राणियों का विचरण वनक्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र में होता है।
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	प्रस्तावित वनक्षेत्र में दुर्लभ/संकटापन्न प्रजातियां नहीं पायी जाती है।
XII	क्या कोइ सुरक्षित पुरात्तविक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हाँ	प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण अंतर्गत सम्मिलित संरक्षित वनभूमि आरक्षित वनभूमि एवं राजस्व वन भूमि अंतर्गत ऐतिहासिक स्थल व स्मारक स्थित नहीं है। तदाशय का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति

वन संरक्षक
एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर

	तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	संलग्न है
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–I कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 (नया रा.रा.क्र.43) अम्बिकापुर से पत्थलगॉव तक 2 लेन पेव्हड शोलडर सहित चौड़ीकरण कार्य हेतु आवेदक संस्थान मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) रायपुर के द्वारा प्रस्तुत मांग अनुसार न्यूनतम है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	नहीं
4	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के आवश्यक कुल वनभूमि 31.104 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु वन परिक्षेत्र अम्बिकापुर, एवं लुण्ड्रा के कक्ष क्रमांक पी 2538 तथा पी 2695 का चयन किया गया है। वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र परियोजना में संलग्न है।
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	क्रियान्वयन एजेंसी वन विभाग परियोजना प्रतिवेदन संलग्न है।
IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	वर्ष 2016–17 हेतु सिंचित क्षतिपूर्ति रोपण हेतु दर 545656/– प्रति हे0 की दर से कुल क्षेत्र 62.208 हे0 हेतु कुल राशि रूपये 33944168.00 आंकलित है।
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	संलग्न है।
5	जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न।
6	प्रभाग/जिला प्रोफाईल	सरगुजा, सूरजपुर एवं जशपुर वनमण्डल,

वन संरक्षक
एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी

I	वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र	सरगुजा –4043.299 वर्ग कि.मी. सूरजपुर –5181.855 वर्ग कि.मी. जशपुर – 5339.780 वर्ग कि.मी. **कुल योग :– 14564.934 वर्ग कि.मी.**
II	वनमण्डल का वन क्षेत्र	सरगुजा – 1440.153 वर्ग किमी. सूरजपुर – 1761.930 वर्ग किमी. जशपुर – 2752.285 वर्ग किमी. **कुल योग :– 5954.368 वर्ग किमी.**
III	1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	सरगुजा – 3079.851 हे. सूरजपुर – 2234.543 हे. जशपुर – 165.993 हे. **कुल योग :– 5480.387 हे.**
IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण ~~क्षेत्र~~	सरगुजा – 3982.505 हे.
क	दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि	निरंक
ख	वनेत्तर भूमि	निरंक
ट	वर्ष 2016–17 तक एक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	सरगुजा – 3982.505 हे.
क	वनभूमि	सरगुजा – 3982.505 हे.
ख	वनेत्तर	निरंक।
7	कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षण की विशेष सिफारिशें।	राष्ट्रहित में प्रस्ताव स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

तारीख – 04.02.2017
स्थान – अम्बिकापुर

(नोडल अधिकारी)
वन संरक्षक
एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर